सूने रास्ते में दंपत्ति से झगड़ा कर बाइक, मोबाइल और 2000 रुपए की लूट, दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों से लूट की बाइक के साथ घटना में प्रयुक्त स्कुटी की जब्त, जूटमिल पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा, सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस द्वारा लूटपाट के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों से लूट की हुई बाइक तथा घटना में प्रयुक्त स्कुटी की जप्ती कर आरोपियों को लूट के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, दोनों आरोपी पुलिस की कार्रवाई में सलाखों के पीछे पहुंच गये हैं।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 06.10.2022 को पुलिस चौकी जूटमिल में डी.बी पावर. प्लांट में हेल्फर का काम करने वाला हेतराम सारथी (30 साल) निवासी ग्राम टुन्ड्री थाना डभरा जिला जजगीर चांपा पुलिस चौकी जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.10.2022 के शाम लगभग 05.00 बजे अपने ससुराल तरकेला से दोनो पति-पत्नि खाना खाकर रात्रि करीब 10.15 बजे अपने घर टुन्ड्री (डभरा) जाने के लिये मोटर सायकल क्र सीजी 11 सी 8039 से निकले थे, तरकेला से थोडी दूर आगे नाला के पास इसकी पत्नि बाथरूम लगने से रूके थे, उसी समय तरकेला तरफ से एक स्कुटी नीले रंग में तीन व्यक्ति इनके पास आकर रूके और तुम लोग यह क्या कर रहे हो कहकर मारपीट करने लगे तथा जेब में रखे 2 हजार एवं एक कीपैड मोबाईल और मोटरसाइकिल को लूट कर भाग गये। पुलिस चौकी जूटमिल में अज्ञात 3 आरोपियों पर अप.क्र. 1386/2022 धारा 392,34 IPC कायम कर चौकी प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल के नेतृत्व में जूटमिल पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी।

अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के क्रम में चौकी जूटमिल/साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा अपने स्टाफ एवं मुखबिरों को सक्रिय कर लूट हुये मोबाइल को सर्विलांस में रखा गया था। इसी दरम्यान अज्ञात आरोपियों के संबंध में सक्रिय मुखबीर द्वारा चक्रधरनगर क्षेत्र टीवी टावर के पास रहने वाले सुशील सारथी और प्रभात राय को लूटपाट में शामिल होने की शंका जताया। तत्काल पुलिस टीम की दोनों संदेहियों की धरपकड़ में लग गई जिन्हें चक्रधरनगर क्षेत्र में दबिश हिरासत में लिया गया। संदेहियों का विधिवत नायब तहसीलदार के समक्ष पीड़ित हेतराम तथा उसकी पत्नी से पहचान कार्यवाही कराया गया। महिला दोनों संदेहियों को घटना दिनांक को उनके एक और साथी के साथ लूटपाट में शामिल होना बताइए।

आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी विजय यादव निवासी मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक, जूटमिल के साथ मिलकर लूटपाट करना बताये। आरोपियों के मेमोरंडम पर लूट की मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स सीजी 11 सी-8039 तथा घटना प्रयुक्त नीला रंग का स्कूटी जिसके नंबर प्लेट में नेल पॉलिश से टेढे-मेढे अक्षरों में सीजी यु 2596 लिखा हुआ है कि जब्ती किया गया। लूटपाट के अपराध में आरोपी (1) सुनील सारथी पिता स्वर्गीय सालिक राम सारथी उम्र 22 साल निवासी छोटे अतरमुड़ा विनोद पानठेला के पीछे टीवी टावर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ (2) आरोपी प्रभात राय पिता शिवाजी राय उम्र 20 साल निवासी टीवी टावर के पीछे कृष्णा नगर थाना चक्रधरनगर रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां दोनों आरोपियों का जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है। फरार आरोपी विजय यादव निवासी मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक, जूटमिल की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल के साथ उपनिरीक्षक आर.एस. नेताम तथा हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण एवं खास

डाकघरों में मिल रहा आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन सेवा सुविधा

रायगढ़। भारतीय डाक विभाग रायगढ़ संभाग के अंतर्गत प्रधान डाकघर रायगढ़ एवं उप डाकघर रायगढ़ सदर बाजार, चक्रधरनगर, सारंगढ़, हरदी, खरसिया, कांसाबेल, लैलूंगा, कुनकुरी में आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन सेवा प्रदान की जा रही है। जनसामान्य अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते है एवं पुराने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार/अपडेशन (पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नाम, बायोमेट्रिक अपडेट, ईमेल अपडेट इत्यादि)का कार्य करवा सकते है। चूंकि बच्चों का 5 एवं 15 वर्ष की आयु पर बायोमेट्रिक अपडेट अति आवश्यक है। अतएव अपने बच्चों का भी नि:शुल्क बायोमेट्रिक अपडेशन करा सकते है। अधीक्षक डाकघर रायगढ़ संभाग ने जनसामान्य से आग्रह किया है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए स्वयं का और अपने बच्चों का आधार अपडेशन/एनरोलमेंट का कार्य जरूर कराएं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम-गुड़ेली-2, तामनडीह एवं सहसपुर-1 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सेमरापाली-1 एवं वार्ड क्रमांक 11 में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 26 अक्टूबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदिका नियत तिथि तक अपना आवेदन परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

जिले में 1242.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 13 अक्टूबर तक 1242.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 5.2 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 1455.8 मिली मीटर, पुसौर में 1520.3, खरसिया में 1212.2, सारंगढ़ में 1382.3, बरमकेला में 1101.6, घरघोड़ा में 969.1, तमनार में 1254.5, लैलूंगा में 1306.2, धरमजयगढ़ में 1226.5, सरिया में 1184.2 एवं छाल में 1052 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

केंदई रेंज में हाथियों का उत्पात जारी, फिर तोड़े दो मकान

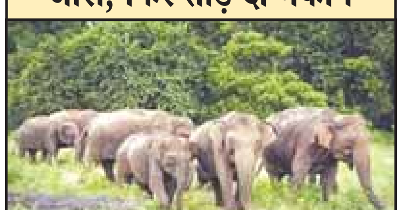

कोरबा (आरएनएस)। वनमंडल कटघोरा के केंदई रेंज में हाथियों का दहशत जारी है। यहां 44 की संख्या में घूम रहे हाथियों के दल ने बीती रात रेंज अंतर्गत कोरबी गांव में अचानक प्रवेश कर भारी उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने दो ग्रामीणों के घर को निशाना बनाते हुए उसे पूरी तरह तहस-नहस कर दिया तथा कई ग्रामीणों के खेतों व बाड़ी में लगे फसलों को भी रौंद दिया जिससे ग्रामीणों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। रात में अचानक हाथियों के आने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के रेंजर व अन्य अधिकारियों को दी गई। जिस पर अधिकारियों के निर्देश पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और उत्पात मचा रहे हाथियों को खदेडऩे की कार्रवाई की। खदेड़े जाने पर हाथियों ने जंगल का रूख किया तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इससे पहले ग्रामीण हाथियों के उत्पात से सहमे रहे।

कोस्टापारा पुत्री शाला में रक्षा टीम प्रभारी ने छात्राओं को दी अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर जिला पुलिस बेटियों को सशक्त और सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "हमर बेटी हमर मान" का प्रचार-प्रसार कर लगातार महिला सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 13.10.2022 को पुलिस रक्षा टीम कोस्टापारा पुत्री शाला स्कूल में छात्राओं को महिलाओं पर घटित विविध अपराधों, सायबर क्राईम की जानकारी देते हुए अभिव्यक्ति एप के बारे में बताया गया और सभी को घर जाकर मोबाइल पर प्ले स्टोर के जरिये "अभिव्यक्ति ऐप" डाउनलोड करने की सलाह दी गई।

रक्षा टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मंजु मिश्रा छात्राओं को बताई कि इस अभिव्यक्ति ऐप के जरिये महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। इसके अलावा इस एप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती हैं, यानी अब थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप के जरिये महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस तक पहुंचा सकगी। छात्राओं को रक्षा टीम प्रभारी द्वारा विषम परिस्थितियों में डॉयल 112 हेल्प लाइन नम्बर पर कॉल कर पुलिस मदद लेना बताया गया और जागरूकता वाले पाम्पलेट बांटे गये।

रक्षा टीम प्रभारी द्वारा वर्तमान में किए जा रहे फ्राड के तरीकों के बारे छात्राओं को बताया गया कि कैसे फैक कॉल के जरिये साइबर ठग बैंक अधिकारी अथवा कर्मचारी बनकर मोबाइल से आधार कार्ड एवं एटीएम कार्ड की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर बैंक खातों से रकम पार कर देते हैं, सतर्क रहने और अंजान लोगों को OTP या अन्य निजी जानकारी शेयर करने से बचने की सलाह दी। इस दौरान स्कूल के शिक्षकगण, छात्राएं एवं रक्षा टीम के स्टाफ मौजूद रहे।

लैलूंगा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के अपराध में कथित डॉक्टर को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

आरोपी के इंजेक्शन लगाने पर 7 साल की लड़की की हुई थी मौत, मर्ग जांच पर आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया था अपराध

रायगढ़। थाना लैलूंगा में दिनांक 05.08.2022 को मृतिका इरफा खान पिता नबाव खान उम्र 07 साल निवासी शांतिनगर लैलूंगा के मृत्यु से संबंधित मर्ग जांच पर बुखार से तड़प रही बालिका की स्थिति जानते हुए कथित प्रायवेट डाक्टर तिरथो राम प्रधान बालिका को इरफा खान को चेक कर ईलाज के नाम पर एक इंजेक्शन लगाया जिसके बाद बालिका का तबियत और खराब होने लगा और उसने दम तोड़ दिया तिरथो प्रधान पर मर्ग जांच गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है।

मर्ग जांच दौरान मृतिका के पिता ने बताया कि दिनांक 01.11.2021 को सबेरे सोकर उठा तो लडकी इरफा खान को काफी तेज बुखार था। तब पडोस में रहने वाले तिरथो राम प्रधान निवासी ग्राम केनापारा जो लैलूंगा शांतिनगर में रहकर प्रायवेट ईलाज करता है, उसके घर ले जाकर लड़की को दिखाये। तिरथो लड़की को चेक कर उसे एक के बाद एक तीन इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद लडकी इरफा खान का तबियत और खराब होने लगा, लड़की बाथरूम गयी, बाथरूम से निकलने के बाद उसके मुंह, नाक से झाग निकलने लगा। तब तिरथो राम प्रधान बोला कि लडकी का ज्यादा तबियत खराब हो रहा है, चलो अस्पताल ले चलते है। तुरंत सीएचसी अस्पताल लैलूंगा गए। डॉक्टर लड़की को चेक कर मृत्यु हो गया है। जांच दौरान तिरथो राम प्रधान के घर आसपास रहने वाले बताये कि तिरथो राम नस, हड्डी फैक्चर आदि का आयुर्वेदिक तरीके से ईलाज करता था, डिग्रीधारी था या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।

आरोपी तिरथोराम प्रधान अपने शांतिनगर के निवास और ग्राम केनापारा दोनों स्थान से फरार हो गया था जिसकी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम स्टाफ व मुखबिर तैनात किया गया था। दिनांक 12.10.2022 को मुखबिर सूचना पर आरोपी तिरथो राम प्रधान पिता देवाधी राम उम्र 36 साल निवासी ग्राम केनापारा थाना लैलूंगा को गिरफ्तार कर रिमांड पी भेजा गया है।

गोदाम का ताला तोड़कर ट्रेलर के क्राउन की चोरी : 3 गिरफ्तार

मालिक ने थाना खरसिया में दर्ज कराया था चोरी की रिपोर्ट, गश्त दौरान आरोपी आए पुलिस की पकड़ में

रायगढ़। डभरा रोड़ खरसिया में रहने वाले रितिक गोयल (35 साल) ने दिनांक 12.10.2022 को थाना खरसिया आकर उसके ग्राम रानीसागर स्थित गोदाम में रखा ट्रेलर वाहन का पुराना कबाड सामान लोहे का क्राउन को ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 486/2022 धारा 457, 380 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

माल, मुलजिम पतासाजी दौरान प्रार्थी व मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर क्षेत्र के संदिग्ध टेकलाल पटेल निवासी बोतल्दा का पता तलाश कर रात्रि गश्त घेराबंदी कर संदेही को हिरासत में लिया गया जो कड़ी पूछताछ में अपने गांव के शिवा उर्फ सिद्धेश्वर दास वैष्णव के साथ शिवा के मोटरसाइकिल CBZ स्ट्रीम से अपने एक और साथी राहुल कुमार साहू निवासी बानीपाथर के साथ दिनांक 12.10.2022 की रात्रि पैसे की आवश्यकता पर रानीसागर चौंक के पास एक गोदाम का ताला को तोड़कर गोदाम में रखे ट्रेलर वाहन का पुराना लोहे का पार्ट्स तीन टुकड़ा (वजन करीब 80 किलो कीमत रु.3000) का चोरी कर मोटर सायकल से लाना और ओवर ब्रिज के पास झाड़ियों में छुपा कर रखना बताया। आरोपी टेकलाल पटेल से मिली जानकारी पर उसके साथी आरोपी शिवा उर्फ सिद्धेश्वर दास वैष्णव और राहुल कुमार साहू को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के मेमोरेंडम पर ट्रेलर वाहन का पुराना क्राउन वजन करीब 80 किलो कीमत रु.3000, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल CBZ स्ट्रीम, एक नग टूटा हुआ गोदाम का ताला जप्त कर आरोपियों को नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम, सहायक उपनिरीक्षक हेमंत कश्यप और आरक्षक योगेश साहू की प्रमुख भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी- (1) टेकलाल पटेल पिता वेदराम पटेल उम्र 27 साल, (2) शिवा उर्फ सिद्धेश्वर दास वैष्णव पिता अर्जुन दास उम्र 25 साल दोनों निवासी बोतल्दा थाना खरसिया , (3) राहुल कुमार साहू पिता भुवनलाल साहू उम्र 27 साल निवासी बानीपाथर थाना खरसिया।

सीईओ मिश्रा ने ग्रामीण युवाओं को किया खेल सामग्री का वितरण

रायगढ़। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा द्वारा आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण युवा खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन हेतु खेल सामग्री प्रदान की गयी। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र रायगढ़ चन्द्राभूषण चौबे एवं जिला पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि युवा सशक्तिकरण, युवा क्लब एवं युवा/महिला मंडलों को मजबूती प्रदान करना नेहरू युवा केन्द्र का मुख्य उद्देश्य है। जिसके तहत उन्हें आत्म-निर्भरता के लिए प्रशिक्षित करने जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाते है। गांवों के युवा क्लब समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कार्य कर रहे है। युवा केन्द्र के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना, उनके महत्व और क्षमता का विकास करना, जिससे कि वे आधुनिक भारत के एक उन्नतिशील और कुशल जिम्मेदार नागरिक बन सके। एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए कार्य करना जिसमें सभी लोगों को बिना जाति, रंग, लिंग, या धर्म से पृथक राष्ट्र की सेवा में समान अवसर प्रदान हो सके। संसाधनों में आत्म निर्भरता का अनुसरण करना, रोजगार सृजन, शिक्षा और परिवार कल्याण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्यक्रमों के विकास और वृद्धि के लिए कार्य करना। शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सेवा और विविध आमदनी सृजन गतिविधियों को शामिल करना और उसका दायरा विस्तृत करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाना है।

कोई भी होटल, रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज के लिए उपभोक्ता को नहीं कर सकते बाध्य

उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु सर्विस चार्ज के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

रायगढ़। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण के निर्देशानुसार संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रायपुर द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा अनुचित व्यापार एवं व्यवहार पर नियंत्रण हेतु होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज को बाध्यकारी बनाने एवं बिल में इसे स्वत: जोड़े जाने को अनुचित व्यापार एवं व्यवहार घोषित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देशानुसार कोई भी होटल अथवा रेस्टोरेंट बिल में स्वत: सर्विस चार्ज को शामिल नहीं करेगा। उपभोक्ता से सर्विस चार्ज किसी भी अन्य नाम से प्राप्त नहीं किया जायेगा। कोई भी होटल अथवा रेस्टोरेंट उपभोक्ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उपभोक्ता को स्पष्ट रुप से सूचित करेगा की सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है तथा यह उपभोक्ता के निर्णय पर निर्भर है कि वह सर्विस चार्ज का भुगतान करना चाहता है अथवा नहीं। सर्विस चार्ज के देय होने अथवा भुगतान के आधार पर उपभोक्ता को होटल अथवा रेस्टोरेंट में प्रवेश अथवा सेवाएं दिए जाने के संबंध में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। सर्विस चार्ज की राशि जलपान की राशि में जोड़कर तथा उस पर वस्तु एवं सेवा कर अधिरोपित कर वसूल नहीं कर सकता। उपरोक्त दिशा निर्देश के उल्लंघन पाए जाने पर उपभोक्ता द्वारा संबंधित होटल रेस्टोरेंट प्रबंधन से बिल की राशि से सर्विस चार्ज को हटाए जाने की मांग की जा सकती है साथ ही इस संबंध में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 में शिकायत दर्ज करा सकते है।

इसके अलावा उपभोक्ता आयोग में ऑफलाइन तरीके से अथवा ई-दाखिल पोर्टल (www.edaakhil.nic.in) के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के पास जिला कलेक्टर अथवा केंद्रीय उपभोक्ता विकास अभिकरण द्वारा जांच हेतु अधिकृत जिलाधिकारी एवं सीधे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण को ईमेल (com-ccpa@nic.in) के जरिए सीधे शिकायत दर्ज करा सकते है।

कॉलेज परिसर में मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में फहद अली उम्र 24 वर्ष पिता रमजान अली निवासी चांदमारी द्वारा दिनांक 21.09.22 की शाम कॉलेज में केटिन बंद कर घर जाने के दौरान रास्ता रोककर डिग्री कॉलेज परिसर में मनोज अग्रवाल एवं उसके साथियों द्वारा गाली गलौच कर मारपीट किये जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 147, 294,323,341 भादवि का अपराध दर्ज कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा विवेचना दरम्यान रिपोर्टकर्ता, गवाहों के बयान लेखबद्ध कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मारपीट में शामिल आरोपी – (1) मनोज अग्रवाल पिता महेंद्र अग्रवाल उम्र 24 वर्ष निवासी जामगांव थाना चकरनगर हाल मुकाम राजीव नगर कोतरा रोड वार्ड नंबर 1 गली नंबर 1 डिग्री लाल साहू के घर थाना कोतवाली जिला रायगढ़ (2) विश्वास परिहारी पिता महादेव परिहारी उम्र 23 वर्ष निवासी बेलादुला हेमू चौक थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ (3) शास्वत पंडा पिता सुनील पंडा उम्र 19 साल निवासी गढ़उमरिया चौकी जूटमिल जिला रायगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, विवेचना में पाये गये साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 397 IPC विस्तारित किया गया है।

विदित हो कि डिग्री कॉलेज की प्राचार्य द्वारा मनोज अग्रवाल एवं 8 -10 लड़के द्वारा नारा लगाते हुए प्राचार्य कक्ष के दरवाजे के पास आकर धरना प्रदर्शन कर लाउडस्पीकर से चिल्लाकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर शैक्षणिक कार्य को बाधित करने तथा प्राचार्य कक्ष में रखे पानी बाटल को फेंककर तोड़फोड़ कर नुकसान किये जाने के संबंध में थाना चक्रधरनगर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

प्राचार्य के आवेदन पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 186,341,427,34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण विवेचना दरमियान धारा 34 आईपीसी हटाकर धारा 147, 353 आईपीसी की धारा जोड़ी गई है। इस घटना में भी आरोपियों के शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं जिस पर पृथक से इस अपराध में भी आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया है।

हिरासत में लिये गये तीनों आरोपी मनोज अग्रवाल, विश्वास परिहारी और शास्वत पंडा को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480